



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 387]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 6, 2017/आश्विन 14, 1939

No. 387]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 6, 2017/ASVINA 14, 1939

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर, 2017

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017

सं. पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/8.—पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 52 की उपधारा (2) के खंड (छ), खंड (ज) और खंड (झ) के साथ पठित उसकी उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण एतद्वारा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 में संशोधन करते हुए निम्न विनियम बनाता है नामतः—

1. इन विनियमों का नाम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017 है।
 2. यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होंगे।
 3. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 में:—
- (I) विनियमन 2 में, उप-विनियमन (1) में, उपखंड (ट) में
- (i) उपखंड (ii) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा —

अभिदाता जो साठ साल की आयु को प्राप्त कर चुका है और सदस्यता को जारी रखने के विशेष अनुमति के बाद लिखित में सदस्यता जारी रखने का कोई विकल्प प्रयोग नहीं में किया है, ऐसे अतिरिक्त अवधि तक, योगदान देने के साथ या बिना उसके, या उस अभिदाता के संबंध में जो 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात् राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में शामिल होता है (लेकिन पैसठ वर्ष की आयु पूर्ण होने से पहले) उस योजना की सदस्यता को जारी रखने की अनुमोदित अधिकतम आयु या इससे पहले की तारीख को अभिदाता से प्राप्त खाता बंद करने के विशिष्ट अनुरोध पर आधारित;

(ii) उपखंड (iii) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा —

ऐसा अभिदाता, जिसकी सेवानिवृत्ति की उम्र या साठ वर्ष की आयु से पहले ही मृत्यु हो जाती है या अभिदाता द्वारा एक निश्चित अनुमत समय अवधि तक सदस्यता जारी रखने का विकल्प लिया जाता है और इस अवधि से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है या उस अभिदाता की मृत्यु, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को साठ वर्षों की उम्र पूर्ण होने के पश्चात् (लेकिन पैसठ वर्ष आयु पूर्ण होने से पहले) में शामिल होता है, उस योजना कि सदस्यता जारी रखने की अनुमोदित अधिकतम आयु से किसी भी समय पहले;

(II) विनियम 4 में, उप-नियमन (ग) के बाद, नई उप-विनियम (घ) निम्नानुसार जोड़ दी जाएगी:

(घ) अभिदाताओं द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास, साठ साल की उम्र पूर्ण होने या उसके पश्चात् (लेकिन पैसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले) ऐसी पेंशन व्यवस्था में शामिल होने पर:

(i) उस अभिदाता के मामले में, सर्व नागरिकों या कॉर्पोरेट मॉडल के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में शामिल हुआ है, साठ साल की उम्र पूर्ण होने के पश्चात् (या पैसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले) और ऐसी पेंशन प्रणाली की कम से कम तीन साल की अवधि तक सदस्यता लेने की तिथि से, निकास पर, ऐसे अभिदाता के संचित पेंशन धन में से कम से कम चालीस प्रतिशत भाग का अनिवार्य रूप से किसी मासिक या किसी अन्य कालिक पेंशन का उपबंध करने के लिए वार्षिकी क्रय करने के लिए उपयोग किया जाएगा और ऐसे उपयोजन के पश्चात् संचित पेंशन धन के अतिशेष का एकमुश्त रूप में अभिदाता को भुगतान कर दिया जायेगा। यदि अभिदाता की संचित पेंशन धन दो लाख रुपए के बराबर या उससे कम है या प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट के रूप में परिभाषित सीमा, जो कि जीवन बीमा कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए गए वार्षिकियों के न्यूनतम मूल्य, उपयुक्त नियामक द्वारा जारी किए गए निर्देशों के आधार पर निर्धारित होगा, तो अभिदाता को कोई वार्षिकी क्रय किए बगैर पूरे संचित पेंशन धन का प्रत्याहरण करने का विकल्प होगा

(ii) जहां, उप-खंड (i) के अधीन अभिदाता, जो ऐसे पेंशन प्रणाली में तीन साल पूरा होने से पहले, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से स्वेच्छा से निकास, का विकल्प लेता है, वहां अभिदाता के संचित पेंशन धन का कम से कम अस्सी प्रतिशत भाग का अनिवार्य रूप से वार्षिकी क्रय करने के लिए उपयोजित किया जाएगा और ऐसे उपयोजन के पश्चात् संचित पेंशन धन के अतिशेष का एकमुश्त रूप से भुगतान अभिदाता को कर दिया जाएगा।

परन्तु, यदि अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते में जमा पेंशन धन एक लाख रुपए के बराबर या उससे कम है, या प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली सीमा, जो कि बीमा कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले वार्षिकियों के न्यूनतम मूल्य, उपयुक्त नियामक द्वारा जारी किए गए निर्देशों के आधार पर निर्धारित होगा, ऐसे अभिदाता को कोई भी वार्षिकी क्रय किए बगैर पूरे पेंशन धन को वापस लेने का भी विकल्प होगा;

(iii) जहां उप-खंड (i) के अधीन, अभिदाता की राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सदस्य रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो, इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार अभिदाता की पूर्ण जमा पेंशन धन ऐसे अभिदाता के, यथास्थिति के अनुसार, नामिति या नामितियों या कानूनी उत्तराधिकारियों को दे दिया जायेगा।

हेमंत जी, कंट्रोलर, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./259/17]

पाद लेख:

1. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 भारत के राजपत्र में 11 मई, 2015 को सं. पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/8 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे।
2. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2017 भारत के राजपत्र में 10 अगस्त 2017 को सं. पीएफआरडीए /12/आरजीएल/139/8 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे।

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th October, 2017

Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) (Second Amendment) Regulations, 2017

No. PFRDA/12/RGL/139/8.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 52 read with sub-clause (g), (h), and (i) of sub-section (2) of Section 52 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (Act No. 23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations to amend the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) Regulations, 2015 namely,—

1. These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) (Second Amendment) Regulations, 2017.
2. These shall come into force on the date of their publication in the official gazette.
3. In the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) Regulations, 2015:—

(I) In regulation 2, in sub-regulation (1), in sub-clause (k),

(i) sub-clause (ii) shall be substituted as follows :—

a subscriber having attained the age of sixty years, and where so specifically permitted has not exercised a choice in writing to continue to remain subscribed to such system, till such further period as is permissible, with or without making contributions or in respect of a subscriber who has joined National Pension System after attaining the age of sixty years (but before attaining sixty five years of age) upon attaining the maximum age permitted to be subscribed to such scheme or any date prior thereto, based on the specific request for closure received from subscriber;

(ii) sub-clause (iii) shall be substituted as follows :—

death of the subscriber before attaining the age of superannuation, or the age of sixty years, or in cases where an option has been exercised by subscriber to continue to remain subscribed to a certain permissible time period, death before expiry of such period or death of a subscriber who has joined National Pension System after attaining the age of sixty years (but before attaining sixty five years of age) at any time prior to attaining the maximum age permitted to be subscribed to such scheme;

(II) In Regulation 4, after sub-regulation (c), new sub-regulation (d) shall be added as follows:

(d) Exit from National Pension System by subscribers, joining such pension system on or after attaining the age of sixty years (but before attaining sixty five years of age):

- (i) In case of a subscriber, joining National Pension System under all citizens model or in corporate model, on or after attaining the age of sixty years, (but before attaining sixty five years of age) and after having subscribed to such pension system for atleast a period of three years, from the date of such joining, on exit, at least forty percent out of the accumulated pension wealth of such subscriber shall be mandatorily utilized for purchase of annuity providing for a monthly or any other periodical pension and the balance of the accumulated pension wealth, after such utilization, shall be paid to the subscriber in lump sum. In case, the accumulated pension wealth of the subscriber is equal to or less than a sum of two lakh rupees or a limit to be specified by the Authority, basing on the instructions issued by the appropriate regulator on the minimum value of annuities to be made available by the life insurers, the subscriber shall have the option to withdraw the entire accumulated pension wealth without there being any requirement of purchasing an annuity

- (ii) where a subscriber under sub-clause (i) who, before completion of three years in such pension system, voluntarily opts to exit from the National Pension System, at least eighty percent out of the accumulated pension wealth shall be mandatorily utilized for purchase of annuity and the balance of the accumulated pension wealth, after such utilization, shall be paid to the subscriber in lump sum.

Provided further that if the accumulated pension wealth in the individual pension account of the subscriber is equal to or less than a sum of Rupees one lakh , or a limit to be specified by the Authority, basing on the instructions issued by the appropriate regulator on the minimum value of annuities to be made available by the life insurers, such subscriber shall have the option to withdraw the entire accumulated pension wealth without there being any requirement of purchase of an annuity.

- (iii) where a subscriber under sub-clause (i) dies, while being subscribed to National Pension System, the entire accumulated pension wealth of the subscriber shall be paid to the nominee or nominees or legal heirs, as the case may be, of such subscriber, in accordance with the provisions of these regulation.

HEMANT G., Contractor, Chairperson

[ADVT-III/4/Exty./259/17]

Footnote:

1. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals Under the National Pension System) Regulations, 2015 were published in the Gazette of India on 11th May, 2015 vide No. PFRDA/12/RGL/139/8.
2. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals Under the National Pension System) (First Amendment) Regulations, 2017 were published in the Gazette of India on 10th August, 2017 vide No. PFRDA/12/RGL/139/8